भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1029
22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र

1029. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूक्रेन से लौटे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में समायोजित करने की अनुमति देने का है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): विदेशी मेडिकल छात्र / स्नातक या तो "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002" या "विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसिएट विनियम, 2021, जैसा भी मामला हो, के तहत कवर होते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के साथ-साथ विनियमों में मेडिकल छात्रों को किसी भी विदेशी मेडिकल संस्थानों से भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने या स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

एनएमसी ने विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की बेहतरी के लिए दिनांक 04.03.2022 के परिपत्र के माध्यम से ऐसे विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारत में उनकी शेष बची इंटर्नशिप को पूरा करने की अनुमति दी है जिनकी इंटर्नशिप युद्ध, कोविड 19 इत्यादि जैसी मजबूर परिस्थितियों के कारण अपूर्ण रह गई जो उनके नियंत्रण से बाहर है। किन्तु इसके साथ शर्त है कि ऐसे उम्मीदवारों ने एफएमजीई (स्क्रीनिंग टेस्ट) उत्तीर्ण किया हो, जो कि भारत में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी चिकित्सा अहर्ता वाले भारतीय छात्रों के लिए अनिवार्य है।

*****